रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ ज्येष्ठ 19, 1939
No. 467] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/ JYAISTHA 19, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

सा.का.नि. 568(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन तथा ग्रेच्युटी) संशोधन विनियम, 2017 को एतद्द्वारा अनुमोदन देती है तथा यह इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्धारित है ।

2. कथित संशोधन विनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन तथा ग्रेच्युटी)

संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा–28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (पेन्शन तथा ग्रेच्युटी) विनियम, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को "मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन तथा ग्रेच्युटी) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाए।

(ii) ये विनियम, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की

तारीख से लागू होंगे।

2. मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन तथा ग्रेच्युटी) विनियम, 1966 में विनियम – 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

" 7. पेन्शन रोकने अथवा वापस लेने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

1) यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेन्शनर अपनी सेवा जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनःनियोजित होने पर की गई सेवा भी शामिल है, की अवधि के दौरान घोर कदाचार या लापरवाही के लिए दोषी पाया जाता है तो मंडल को उस संबंध में यदि कोई आर्थिक हानि हुई हो तो स्थाई रूप से या किसी निश्चित समय तक पेन्शन या ग्रेच्युटी या दोनों, चाहे पूर्णतया या उसका भाग रोके रखने या पेन्शन को पूर्णतया या उसके भाग को वापस लेने तथा पेन्शन या ग्रेच्युटी से उसकी संपूर्ण या भाग की वसूली का आदेश देने का सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा ।

प्रावधान है कि इस विनियम के प्रयोजनार्थ वह पेन्शनर, जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागाध्यक्ष के रुप में समझा जानेवाला पद धारण किया था, के मामले में सक्षम प्राधिकारी केन्द्र सरकार तथा कोई अन्य पेन्शनर, जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागाध्यक्ष स्तर से निचला पद धारण किया था, के मामले में सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

यह भी प्रावधान है कि जहां पेन्शन के भाग को रोका गया या वापस लिया गया, तो ऐसे पेन्शन की राशि को प्रति माह रूपये तीन हजार पाच सौ अथवा पत्तन न्यास कर्मचारियों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो, से कम नहीं घटाया जाएगा।

2. (क) उप–विनियम (1) में वर्णित विभागीय कार्यवाही यदि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पूर्व उसके सेवा के रहते अथवा उसके पुनः नियोजन के दौरान प्रारंभ की जाती है तो कर्मचारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद उसे इन विनियमों के अधीन कार्यवाही मानी जाएगी और उसी प्राधिकारी जिसने उसे शुरू की है, द्वारा उसी प्रकार से जारी या समाप्त की जाएगी जिस प्रकार से कर्मचारी सेवा में रहते की जाती ।

प्रावधान है कि यदि विभागीय कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की जाती है तो उस प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों को दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) विभागीय कार्यवाही यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पूर्व उसकी सेवा के दौरान अथवा उसके पुनः नियोजन के दौरान न की गई हो तो :–

i) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न चलाई जाएगी ।

ii) किसी ऐसे मामले में जहां जांच कार्य के चार से अधिक वर्ष पूर्व घटना घट गई हो ; और

iii) सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार तथा विभागीय कार्यवाही पर लागू प्रकियाओं के अनुसार जिसमें सेवाकाल में कर्मचारी के संबंध में उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया जा सकता है, नियत प्राधिकारी द्वारा तथा नियत स्थान पर जांच कार्य किया जाएगा।

(3) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिनपर कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही की गई है अथवा उपविनियम (2) के तहत विभागीय कार्यवाही जारी है तो विनियम –8 में यथाप्रावधानित अस्थायी पेन्शन मंजूर किया जाएगा।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी पेन्शन को न रोकने अथवा वापस न लेने का निर्णय लेता है किन्तु पेन्शन से आर्थिक हानि की वसूली करने का आदेश देता है तो वसूली सामान्यतया कर्मचारी की सेवनिवृत्ति की तारीख को ग्राहय पेन्शन की अधिकतम एक तिहाई की दर पर नहीं की जाएगी ।

(5) सक्षम प्राधिकारी, चाहे अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा इन विनियमों के तहत पारित किसी भी आदेश का किसी भी समय पुनरीक्षण कर सकता है जब ऐसे पुनरीक्षण को साबित करने हेतु परिशमनकारी या विशेष परिस्थितियां विद्यमान हो अथवा जब ऐसी कोई नई सामग्री या साक्ष्य जो पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित करने समय प्रस्तुत नहीं किए जा सके या उपलब्ध नही हो पाए, अथवा जो मामले की प्रकृति को प्रभावित कर सके, उभरकर आए हो या उनके ध्यान में लाए गए हो ।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी पेन्शन की राशि को बढाने अथवा ग्रेच्युटी को रोकने या वापस लेने का कोई भी आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित आदेश के विरूध्द प्रत्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(6) इस विनियम के प्रयोजन के लिए :–

क) विभागीय कार्यवाही कर्मचारी या पेन्शनर को प्रभारों की विवरणी जारी किए जाने की तारीख से या यदि कर्मचारी पहले की तारीख से निलंबित किया गया हो तो उक्त तारीख से प्रारंभ हुई मानी जाएगी ; तथा

ख) न्यायिक कार्यवाही निम्नलिखित से प्रारंभ हुई मानी जाएगी;

i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में उस तारीख को जब दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट पर सुनवाई की जाती है ; तथा

ii) सिविल कार्यवाही के मामले उस तारीख को जब वाद-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।"

[फा. सं. पी. आर – 12016/21/2014 –पी ई –I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी

मूल विनियम अधिसूचना सं. एमपीटी/आईजीए/ई 682/1/66 दि. 1/2/1967

बाद के संषोधन

i) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीई (16)/68, दि. 31/12/68

ii) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीई (4)/69, दि. 19/2/69

iii) अधिसूचना एमपीटी/आईजीए (जी 682)–आई/72,

दि. 14/1/70, दि.11/6/1970 को सरकार के राजपत्र सं.11(सिरिज) में प्रकाशित

iv) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीई (15)/70, दि. 30/7/70

v) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीई (44)/72, दि. 21/2/73

vi) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीई (32)/73, दि. 6/9/73

vii) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीईजी (i)/24, दि. 17/11/74

viii) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीईजी (31)/77, दि. 2/12/77

ix) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीईजी (12)/78, दि. 4/7/78

x) सरकारी मंजूरी सं. 7 –पीडब्लयू/पीडब्लयूजी –39/79, दि. 6/7/80

xi) सरकारी मंजूरी सं. पीडब्लयू/ पीईजी–6/80 दि. 19/3/81

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2017

G.S.R. 568 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Pension and Gratuity) Amendment Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT TRUST

Mormugao Port Employees (Pension and Gratuity) Amendment Regulations, 2017.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees (Pension and Gratuity) Regulations, 1966, namely:-

1. Short Title and commencement.

(i) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees (Pension and Gratuity) Amendment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the official gazette

2. In the Mormugao Port Employees (Pension and Gratuity) Regulations, 1966, Regulation 7 shall be substituted as under.-

"7. Right of Competent Authority to withhold or withdraw pension:

(1) The Competent Authority reserves to himself the right of withholding a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdrawing a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period and of ordering the recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, if, in any departmental or judicial proceeding, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service including service rendered upon re-employment after retirement

Provided that for purpose of this regulation, the Central Government shall be the competent authority in respect of a pensioner, who prior to his retirement, held the post regarded as Head of Department; and the Chairman, in respect of any other pensioner, who prior to retirement held post below the level of Head of Department.

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pensions shall not be reduced below the amount of rupees three thousand five hundred per month or as modified or revised for the purpose by the Central Government from time to time, whichever is higher.

(2) (a) The departmental proceeding referred to in sub-regulation (1), if instituted while the employee was in service before his retirement or during his re-employment, shall after the final retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the competent authority, that authority shall submit report of recording of its findings to the competent authority.

(b) The departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, whether before his retirement, or during his re-employment, -

(i) shall not be instituted save with the sanction of the competent authority,

(ii) shall not be in respect of any event which took place more than four years, before such institution, and

(iii) shall be conducted by such authority and in such place as the competent authority may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the employee during his service.

(3) In the case of an employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued under sub-regulation (2), a provisional pension as provided in regulation 8 shall be sanctioned.

(4) Where the competent authority decides not to withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of an employee.

(5) The competent authority may at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these regulations, where extenuating or special circumstances exist to warrant such review or when any new materials or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice.

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the competent authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed.

(6) For the purpose of this regulation-

(a) Departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the employee or pensioner, or if the employee has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and

(b) judicial proceedings shall be deemed to be instituted:

(i) in the case of a criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of Police Officer, on which the Magistrate takes cognizance, is made; and

(ii) in the case of a civil proceedings, on the date the plaint is presented in the Court."

[F. No. PR-12016/21/2014-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Foot Note:

Principal Regulation Notification No. MPT/IGA/E-682/1/66 dtd. 1/2/1967.

Subsequent Amendment:

(i) Govt. sanction No. 7-PE(16)/68 of 31/12/68

(ii) Govt. sanction No. 7-PE(4)/69 of 19/2/69

(iii) Notification MPT/IGA(G 682)-I/72 of 14/1/70 published in Govt. Gazette No. 11 (series I) of 11/6/1970.

(iv) Govt. sanction No. 7-PE(15)/70 of 30/7/70

(v) Govt. sanction No. 7-PE(44)/72 of 21/2/73

(vi) Govt. sanction No. 7-PE(32)/73 of 6/9/73

(vii) Govt. sanction No. PEG(i)/24 of 17/11/74

(viii) Govt. sanction No. PEG(31)77 of 2/12/77

(ix) Govt. sanction No. PEG(12)/78 of 4/7/78

(x) Govt. sanction No. PW/PWG-39/79 of 6/7/80

(xi) Govt. sanction No. PW/PEG-6/80 dtd. 19/3/81

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.13 15:11:50 +05'30'